राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2023

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेंट :–
1. श्री चेलाराम पुत्र स्व. श्री भीखाराम जाति कलबी, निवासी बुड़ीवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार जसोल 2. श्री धर्माराम पुत्र श्री स्व. भीखाराम 3. श्री मोटाराम पुत्र स्व. भीखाराम, जातियान कलबी, निवासीयान बुड़ीवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.04.2022 जो प्रकरण सं. 51/2018 उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 02 व 03 स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.06.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 51/2018 सरकार बनाम भीखाराम पुत्र प्रभुजी में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध दिनांक 20.05.2022 को जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.011. 2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का जागसा द्वारा उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बुड़ीवाड़ा के खसरा नम्बर 1142/411 रकबा 0.05 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोवा भूमि पर गैर सायल भीखाराम पुत्र प्रभुजी के कायम मुकाम धर्माराम, मोटाराम, चेलाराम जाति कलबी द्वारा अनाधिकृत पक्का मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया है, जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 26.04.2022 के द्वारा 02/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.11.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि मुतनाजा भुमि के खेत खसरा नंबर 1142/411 मौजा बुड़ीवाड़ा में अवस्थित है। अपीलांट का अतिक्रमण गैर मुमकिन गोवा की भूमि पर नहीं होकर अपीलांट के स्वयं के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1072/484 रकबा 28 बीगा 3 बिसवा भूमि पर मकान बना हुआ है। जबकि अतिक्रमण जो बताया है वह मात्र ओवरलोपिंग का मामला है। जब अपीलांट के खेत की पैमाईश ग्राम जागसा के सुटी नंबर 59, 60, 61 से नाप किया जाता है तो अपीलांट के सामने वाले खेत में करीब 25 30 मीटर तक अन्दर की ओर जाता है, जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम इन्द्राणा की सरहद से पैमाईश की जाती है तो अपीलांट का मकान 5 से 7 फीट गैर मुमकिन गोवा में आता है। जो कि मात्र सेंटलमेंट की भू पैमाईश की

जिला कलक्टर
बालोतरा

वजह से हो रहा है। अपीलांट का मकान अपीलांट के खातेदारी खेत ग्राम बुड़ीवाडा के खेत खसरा नंबर 484 में बना हआ है, जो मकान भी पैतृक पुश्तैनी है। जो कई वर्षो से पुराना बना हुआ है। अपीलांट ने नया मकान निर्मित नहीं किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर किसी प्रकार का गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानुनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलकर्ता अतिक्रमी हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ज्यों का त्यो पढ कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं दिया गया। अपीलकर्ता को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों का खण्डन हेतु साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। यदि पटवारी हल्का से साक्ष्य में प्रति परीक्षण का अवसर दिया जाता तो, यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त स्थल का भौतिक सत्यापन किये बिना ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में संस्थित करवा दिया गया। जिससे यह प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की घौर अवहेलना करते हुए एकपक्षीय एवं सनुवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त करने योग्य है।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 02 व 03 के द्वारा प्रभावी पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन सूचना बावजूद अनुपस्थित।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांट ने इस अपील के द्वारा मौजा बुड़ीवाड़ा के खसरा नंबर 1142/411 गैर मुमकिन गोवा पर अपना कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 01.09.2021 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित

जिला कलक्टर
बालोतरा

हुआ है तथा आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आलोच्य भूमि पर अपीलांट द्वारा आंशिक रूप से पक्का निर्माण रहवासी मकान होना बताया गया है। साथ ही दिनांक 21.04.2022 के फर्द मौका रिपोर्ट में मौजा बुड़ीवाड़ा के खसरा संख्या 1142/411 किस्म गै.मु. गोवा का पुनः सीमाज्ञान करने से पुर्व ही गैर सायल द्वारा मना करना बताया गया। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश क्रमांक 51/2018 दिनांक 26.04.2022 को बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा